

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*480  
जिसका उत्तर दिनांक 05.04.2023 को दिया जाना है

**परमाणु रिएक्टरों की स्थापना**

\*480. श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने दस परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए बड़े परिमाण में मंजूरी प्रदान की है;
- (ख) यदि हां, तो उन स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे;
- (ग) क्या सरकार ने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता ली है अथवा यह कार्य विशिष्ट सरकारी एजेंसियों द्वारा ही किया जाएगा; और
- (घ) इन रिएक्टरों की स्थापना में कुल कितनी लागत आने का अनुमान है और इन्हें पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) से (घ) सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**परमाणु ऊर्जा विभाग**

"परमाणु रिएक्टरों की स्थापना" के संबंध में श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*480, जिसका उत्तर दिनांक 05.04.2023 को दिया जाना है, के संदर्भ में विवरण।

-----

(क) जी, हां।

(ख) सरकार ने शीघ्रगामी (फ्लूट) मोड में प्रत्येक 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है। विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	स्थल	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)
कर्नाटक	कैगा	कैगा - 5 व 6	2 X 700
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी - 3 व 4	2 X 700
मध्य प्रदेश	चुटका	चुटका - 1 व 2	2 X 700
राजस्थान	माही बांसवाड़ा	माही बांसवाड़ा - 1 व 2	2 X 700
		माही बांसवाड़ा - 3 व 4	2 X 700

(ग) सरकार ने नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वर्ष 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किया है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यम को सक्षम बनाया जा सके।

(घ) इन रिएक्टरों को रूपए 1,05,000 करोड़ की लागत पर वर्ष 2031 तक क्रमिक रूप से 'शीघ्रगामी (फ्लूट) मोड' में स्थापित करने की योजना है।

\*\*\*\*\*